

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

हेमेश सिंह

बनाम

जबबर सिंह

मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

315/2022

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

14/6/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती

हेमेश सिंह

पिता श्री

जबबर सिंह राजपुत

निवासी-

सुवावा

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

सुवावा (पहलका)

स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 339

कुल कीता

1

कुल रकबा

0.5000

है0 की पत्थरगढी

कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम

सुवावा (पहलका)

स्थित खातेदारी की भूमि आराजी

नम्बर

339

कुल कीता

1

रकबा

0.5000

है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी

किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 50000 रूपये अक्षरे पांच से लक्ष प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(शकम सुन्दर सिन्हा)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)

